क्रम / तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

लोकी राम, पिता–स्व0 मुंशी राम ग्राम+पोस्ट–मेरू, थाना–मुफ्फसिल, जिला–हजारीबाग अंचल–सदर, ग्राम–मेरू, थाना नं0–216, खाता संख्या–10, प्लॉट संख्या–5109, रकवा–09 डी0 भूमि राजकुमार राम, पिता–स्व0 कोल्हा राम, ग्राम–सिलवारकला, थाना–मुफ्फसिल, जिला–हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 134/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता राजकुमार राम एवं विक्रेता लोकी राम अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 5.69 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं करमा भुईयां के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी–II के पृष्ट सं0 12/I पर सुखना भुईयां वगै0 के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2019–20 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता लोकी राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHRC/2020/284857 दिनांक–21.01.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCSC/2021/25423 दिनांक–12.03. 2021 और क्रेता राजकुमार राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2020/282718 दिनांक–20.01.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCSC/2020/55765

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3
	दिनांक-01.02.2021 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-मेरू, थाना नं0-216, खाता संख्या-10, प्लॉट संख्या-5109, रकवा-09 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.02.15 15:36:05 +05:30
Location: 192.168.100.2